

प्रसार शिक्षा निदेशालय
डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
समस्तीपुर - 848125 (बिहार)

निविदा प्रपत्र

निविदा दाता का नाम:-

पूरा पता:-

पत्राचार हेतु पता :-

आधार सं०

(प्रतिलिपि संलग्न करें)

1. आम:- i)प्रति पौधा आम का रूटसॅटाक लाना एवं निर्धारित कृषि विज्ञान केन्द्रों पर स्थापित करने

की दर प्रति पौधा.- रू०.....शब्दों में ।

ii)जीवित रूटसॅटाक पर ग्राफिटिंग की दर प्रति पौधा..- रू०.....शब्दों में ।

2. लीची, अमरूद, नीबु वर्गीये :- गूटी तैयार करके, नर्सरी में स्थापित कर, हस्तांतरण 3 महीने के बाद स्वस्थ /पौधे देने की दर :

लीची :- प्रति पौधा रू०.....शब्दों में ।

अमरूद:- प्रति पौधा रू०.....शब्दों में ।

नीबु वर्गीय:- प्रति पौधा रू०.....शब्दों में ।

3. . ऑवला :- रूटसॅटाक लाना, नर्सरी में स्थापित करना,वडिंग उपरान्त हस्तांतरण 3 महीने के बाद, स्वस्थ /पौधे देने की दर प्रति पौधा रू०.....शब्दों में ।

जमानत राशि - (बैंक ड्राफ्ट द्वारा) बैंक का नाम एवं पता -

डी० डी० संख्या दिनांक

राशि रू० दस हजार (रूपया दस हजार) मात्र

देय - निदेशक प्रसार शिक्षा, डा० आर० पी० सी०ए०यू०, पूसा

प्राप्तकर्ता - बैंक का नाम - पंजाब नेशनल बैंक, पूसा

आई० एफ० एस० सी० कोड - पी० यु० एन० बी० 0451200

नोट:- जमीन, पानी, फसल सुरक्षा एवं प्रक्षेत्र सुरक्षा संबंधित कार्य केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

नियम एवं शर्त :-

लीची, अमरूद

लीची, अमरूद, के पौधे कृषि विज्ञान केन्द्र, बिरौली, समस्तीपुर प्रक्षेत्र पर तैयार होंगे जिनकी संख्या निम्नवत है।

अमरूद	10,000	पौधे (विभिन्न प्रभेद)
लीची	25,000	पौधे (विभिन्न प्रभेद)

उपरोक्त लीची एवं अमरूद में गूटी बांधना और इसमें लगने वाले सभी उपादान देना। मातृ वृक्ष केन्द्र द्वारा प्रभेदवार उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्त कुल पौधों के गूटी बांधने उपरान्त 25 % अग्रिम भुगतान किया जायेगा। गूटी के नर्सरी में स्थापित करने के उपरान्त स्वस्थ पौधों की गणना करते हुए 25 % राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष अंतिम भुगतान तीन महीने बाद नर्सरी स्थापना के उपरान्त पौधों की कुल संख्या को देखते हुए बची हुई राशि का भुगतान किया जाएगा।

ऑवला

ऑवला	2100	पौधे (विभिन्न प्रभेद)
------	------	-----------------------

ऑवला के पौधे स्थापित कर, वडिंग के उपरान्त ही कुल स्वस्थ पौधे की गणना अनुसार 50 % राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष राशि का भुगतान नर्सरी में प्रतिरोपित करने के 3 (तीन) महीने बाद किया जाएगा।

आम

आम के पौधे निम्नलिखित कृषि विज्ञान केन्द्रों पर दी गई संख्या में बीजू पौधे लगाकर तैयार करना है।

बिरौली (समस्तीपुर)	22,500	विभिन्न प्रभेद
हरिहरपुर, वैशाली	16,700	विभिन्न प्रभेद
माधोपुर, प0 चम्पारण	11,200	विभिन्न प्रभेद
मांझी, सारण	7350	विभिन्न प्रभेद
जाले, दरभंगा	5000	विभिन्न प्रभेद

क :- पौधा तैयार करने हेतु बीजू पौधे लाना और प्रतिरोपित करने के उपरान्त 30 % एवं 1 महीने बाद स्वस्थ पौधों की गणना कर 20 % कुल पौधे की राशि का भुगतान किया जायेगा।

ख :- उचित समय पर ग्राफिटिंग कार्य दिये गये प्रभेदों के आधार पर करने के उपरान्त बीजू पौधे की कुल राशि का भुगतान किया जायेगा।

ग:- ग्राफिटिंग के तीन महीने के उपरान्त सफल ग्राफट की गणना उपरान्त कुल स्वस्थ पौधों के आधार पर 50 % ग्राफिटिंग का भुगतान किया जायेगा।

Handwritten signature and initials.

- निर्दिष्ट नर्सरी में हस्तान्तरण उपरान्त स्वस्थ पौधों की गणना के आधार पर 15 दिनों के उपरान्त कुल राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।


नीबू वर्गीय

नीबू वर्गीये पौधे कृषि विज्ञान केन्द्र, पीपराकोठी, पूर्वी चम्पारण के प्रक्षेत्र पर तैयार होंगे जिनकी संख्या निम्नवत है। :

नीबू वर्गीय	6000	पौधे (विभिन्न प्रभेद)
-------------	------	-----------------------

उपरोक्त नीबू वर्गीये पौधे में गूटी बांधना और इसमें लगने वाले सभी उपादान देना। मातृ वृक्ष केन्द्र द्वारा प्रभेदवार उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त कुल पौधों के गूटी बांधने उपरान्त 25 % अग्रिम भुगतान किया जायेगा। गूटी के नर्सरी में स्थापित करने के उपरान्त स्वस्थ पौधों की गणना करते हुए 25 % राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष अंतिम भुगतान तीन महीने बाद नर्सरी स्थापना के उपरान्त पौधों की कुल स्वस्थ संख्या को देखते हुए बची हुई राशि का भुगतान किया जाएगा।

- नोट :-
1. उपरोक्त दी गई संख्या से कम पौधे तैयार होने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं सीमित 10 % अधिक पौध तैयार होने पर केन्द्र इसका भुगतान करेगा।
 2. यह दर, नियम एवं शर्तें वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए मान्य होगी।
 3. निविदा को पूर्ण एवं आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार कुलपति के पास होगा एवं किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कुलपति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
 4. भुगतान पौध तैयार करवाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा।
 5. जमानत राशि रू0 10000.00 (दस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय होगा अन्यथा आवेदन निरस्त किया जायेगा।
 6. आम के पौधों (रूट स्टॉक) की उँचाई 2-2.5 फीट के बीच होना चाहिये
 7. रजिस्टर्ड नर्सरी का दर उचित रहने पर प्राथमिकता दी जायेगी। (प्रतिलिपि संलग्न करें)।
 8. पूर्व के कार्य का कार्यालय आदेश संलग्न कर सकते हैं।



17.5.24
निदेशक प्रसार शिक्षा

प्रसार शिक्षा निदेशालय
डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
पूसा, समस्तीपुर, बिहार - 848125

निविदा सूचना

अनुभवी पौध प्रवर्धकों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अर्न्तगत विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों पर पौध प्रवर्धन का कार्य दो वर्षों के लिए निष्पादित करना है, इस हेतु निविदा दिनांक 15.06.2021 तक निबंधित डाक द्वारा निदेशक प्रसार शिक्षा, डा०आर०पी०सी०ए०यू०, पूसा, समस्तीपुर, बिहार के पते पर आमंत्रित की जाती है जिसे 16.06.2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में खोला जायेगा। लिफाफे पर "पौध प्रवर्धन हेतु निविदा" अंकित होना चाहिये।

विशेष जानकारी एवं निविदा प्रपत्र तथा नियम एवं शर्तों के लिए अधोहस्ताक्षरी या विश्वविद्यालय वेबसाईट www.rpcau.ac.in से सम्पर्क किया जा सकता है।


17.5.21
निदेशक प्रसार शिक्षा